न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/मु.सं. 38/2016

मालचन्द आयु 55 वर्ष पुत्र स्व. भंवरलाल जाति नाई निवासी ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर

–प्रार्थी

बनाम

01. सुवालाल उर्फ सुबाराम आयु 62 वर्ष तथाकथित पुत्र छोगालाल
02. बजरंगलाल आयु 58 वर्ष तथाकथित पुत्र छोगालाल
03. गोपाल उर्फ गोपी आयु 50 वर्ष तथाकथित पुत्र छोगालाल
04. ओंकारमल आयु 45 वर्ष तथाकथित पुत्र छोगालाल
05. सीताराम आयु 45 वर्ष पुत्र भंवरलाल
    समस्त जाति नाई निवासीगण ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर
06. तहसीलदार, धोद तहसील धोद जिला सीकर
07. उपपंजीयक, धोद तहसील धोद जिला सीकर

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति–

01. श्री कैलाश सोनी, वकील प्रार्थी की ओर से
02. श्री अनिल भार्गव, वकील अप्रार्थीगण सं. 1, 2 व 4 की ओर से
03. श्री भंवरलाल बिजारणियां, वकील अप्रार्थी सं. 3 की ओर से
04. श्री अनिल कुमार शर्मा, वकील अप्रार्थी सं. 5 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 11.07.2025

आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 के पूर्वज नत्थूराम जी थे। नत्थूराम जी के दो पुत्र कमशः हणमान जी एवं मांगीलाल जी उत्पन्न हुए। जिनमें से मांगीलाल जी के एक पुत्र छोगाराम जी उत्पन्न हुए। छोगाराम जी का विवाह श्रीमती जिनकू देवी उर्फ अणची देवी के साथ हुआ था। इस विवाह से छोगारामजी के दो पुत्र क्रमशः बाबूलाल एवं भंवरलाल उत्पन्न हुए। छोगाराम जी के भाई हणमान जी के कोई जाइन्दा पुत्र अथवा पुत्री उत्पन्न नहीं होने के कारण उन्होंने अपने सगे भाई मांगीलाल के एक पौत्र बाबूलाल को काफी समय पूर्व विधिवत् पारिवारिक संस्कारों के अनुसार गोद ले लिया था। हणमान जी की स[illegible] एवं उक्त गो[illegible] को इस दावा में कोई विवाद नहीं है। छोगाराम जी श्रीमती जिनकू देवी से हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाहित होने एवं श्रीमती जिनकूदेवी उक्त श्री छोगाराम जी की [illegible] विवाहिता पत्नी होने के बावजूद श्री छोगाराम जी ग्राम लाडपुर की एक अन्य औरत सुरजीदेवी से अनैतिक सम्बन्ध बना रखे थे, जिसके कारण उक्त छोगाराम जी अक्सर उक्त अन्य महिला सुरजीदेवी के पास आते जाते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.23 09:06:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद * जिला–सीकर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

रहते थे, एवं उक्त अनैतिक सम्बन्धों के कारण उक्त सुरजीदेवी के चार पुत्र सन्तान क्रमशः सुवाराम उर्फ सुबाराम, बजरंगलाल, गोपाल एवं ओंकारमल उत्पन्न हुए। यह सिलसिला कई सालों तक जिनकू देवी एवं अन्य समाज बिरादरी के भारी विरोध के बावजूद भी चलता रहा, तथा बाद में उक्त छोगाराम जी उक्त सुरजीदेवी एवं उसकी सन्तान को अपने साथ ग्राम धोद में ही लेकर आ गए। सजरा खानदान आवेदन में प्रदर्शित है। इस प्रकार प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का जन्म विधिपूर्ण विवाह के फलस्वरूप नहीं हुआ था। इस कारण कानूनन उनका नत्थूराम अथवा मांगीलाल अथवा छोगालाल की सम्पदाओं में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है तथा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसरण में वे वादी एवं प्रतिवादीगण के समान छोगाराम जी सम्पदाओं पर विधिपूर्ण एवं पैत्रक बताकर हिस्सा क्लेम नहीं कर सकते है तथा ना ही उन्हें इस प्रकार का पैतृक हक अधिकार बताकर किसी भी सूरत में कोई दावा अथवा क्लैम किये जाने का सिविल एवं साम्पतिक हक व अधिकार प्राप्त है, यह वैकल्पिक है। आराजी खसरा सं. 1163 रकबा 6.4700 हेक्टेयर, खसरा सं. 1165 रकबा 1.5700 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 8.0400 हेक्टेयर वाके ग्राम धोद तहसील जिला सीकर में अवस्थित चली आ रही है। उक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 को उनके दादा श्री छोगाराम से विरासत में प्राप्त में प्राप्त होने के कारण उनकी पैतृक कब्जे, काश्त एवं खातेदारी की आराजियात है। चूंकि छोगाराम के दो जायज पुत्र क्रमशः बाबूलाल एवं भंवरलाल थे, जिनमें से बाबूलाल जी गोद चले गये थे तथा भंवरलाल जी के दो पुत्र वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 उत्पन्न हुए। भंवरलाल जी के स्वर्गवास होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 का उपरोक्त भूमियों में कानूनन 1/2 – 1/2 हक एवं हिस्सा निर्धारित है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूल अथवा लापरवाही के कारण राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का नाम भी अंकित हो गया है तथा इस कारण वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम गलत रूप से 1/6 हिस्से के अनुपात में एवं प्रतिवादीगण सं. 1, 2 एवं 4 का नाम 1/2 हिस्से के अनुपात में एवं प्रतिवादी सं. 3 का नाम 1/6 एवं अणची बेवा छोगा के नाम से 1/6 हिस्से के अनुपात में दर्ज हो गया है। सुरजीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है, तथा उक्त औरत ताजिन्दगी छोगाराम की विवाहिता का दर्जा नहीं पा सकी थी तथा ना ही पा सकती थी, क्योंकि जिस समय वह छोगाराम के सम्पर्क में एवं सहवास में थी, उस समय छोगाराम की विधिविवाहिता पत्नि जिनकू देवी उर्फ अणची देवी जिवित थी। जिनकूदेवी उर्फ अणचीदेवी का भी लगभग 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। जिसके हिस्से की आराजी भी वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 की आधी–आधी है। जिनकूदेवी उर्फ अणचीदेवी के हिस्से की आराजी में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। उक्त विधिक एवं स्वीकृत स्थिति के कारण प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का विवादित भूमियों में विधिक रूप से कोई राईट नहीं था तथा ना ही किसी भी प्रकार से राईट क्रियट होता है। परन्तु उनके द्वारा समाज बिरादरी एवं परिवार तथा वादी एवं वादी की माता की उपस्थिती के समक्ष विरोध करने के कारण करीब 35 वर्ष पूर्व राजीनामा हुआ, उक्त राजीनामे की बाद में एवं दिनांक 12.06.1998 को एक लिखापढ़ी भी 10 रू. के स्टाम्प पर की गई। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 के हस्ताक्षर एवं प्रतिवादीगण सं. 1 एवं 2 की अंगूठा निशानी तथा गवाहान के हस्ताक्षर है, जिसमें प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को वादी सं. 5 के भाग का दर्जा देकर छोगाराम जी की सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पदाओं में से हक त्याग किया गया कि आराजी खसरा सं. 1165 रकबा 1.5700 हेक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा सं. 1163 रकबा 6.4700 हेक्टेयर में से 0.4700 हेक्टेयर भूमि दक्षिणी–पश्चिमी कोने की कुल 2.0400 हेक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 5 के बराबर हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.23 09:06:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

व हिस्से में रहेगी तथा खसरा सं. 1163 का शेष रकबा अर्थात् 6.0000 हेक्टेयर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 व वादी तथा प्रतिवादी सं. 5 की माता अणची उर्फ सुरजी का बराबर समभाग में हिस्सा रहेगा। आगे यह भी तय किया गया था कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 के हक व हिस्से में खसरा सं. 1163 की 0.4700 हेक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु प्रतिवादी बजरंगलाल के हिस्से में से चार हाथ का रास्ता उनको उपलब्ध रहेगा। आगे इसी प्रकार खसरा सं. 1163 में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का भी अलग से हिस्सा तय कर दिया गया था। यह भी तय किया था कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 के हक व हिस्से में चूंकि उबड़ खाबड टीबे की भूमि है, इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्से में अधिक भूमि रहेगी तथा उनकी माता जिनकू अर्थात अणची के हिस्से की भूमि अर्थात् खसरा सं. 1163 के शेष रकबा अर्थात 6.0000 हेक्टेयर में से 1/5 हिस्से की आराजी अर्थात 1.2000 हेक्टेयर भूमि भी जिनकू उर्फ अणची के स्वर्गवास के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 को समभाग में प्राप्त होगी। इस प्रकार जिनकू उर्फ अणची के हिस्से की आराजी 1.2000 हेक्टेयर, जो खसरा सं. 1163 में है, को वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 अपनी माता के जीवनकाल से ही आराजी खसरा सं. 1165 रकबा 1.4700 हेक्टेयर एवं आराजी खसरा सं. 1163 में से रकबा 0.4700 हेक्टेयर के साथ उपरोक्तानुसार भूमि 2.0400 हेक्टेयर एवं 1.2000 हेक्टेयर कुल 3.2400 हेक्टेयर पर काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी अपनी उपरोक्तानुसार भूमि पर काश्त कर रखी है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि खसरा सं. 1163 रकबा 4.8000 हेक्टेयर पर अपनी काश्त कर रखी है। उपरोक्तानुसार लगभग 35 वर्षों पूर्व छोगालाल जी की समस्त चल अचल सम्पदाओं का विभाजन होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 ने अपनी स्वअर्जित आय से छोगाराम जी की मृत्यु के बाद अपने स्वयं के नाम से ग्राम धोद में कृषि भूमियां एवं आवासीय सम्पदाएं भी अर्जित कर रखी है, जिन पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 अपने हिस्से अनुसार काबिज है, जिनका इस वाद में कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 हिंसक प्रवृति के एवं संख्या में अधिक है, जो भूमाफिया गिरोह के सम्पर्क में है, जिसके कारण उनके हौंसले बुलन्द है। इस कारण वे इस वाद में वर्णित विवादित भूमियों से वादी को बेदखल करना चाहते है तथा किसी अजनबी व्यक्ति को गलत राजस्व अभिलेखों का फायदा उठाकर विक्रय एवं अन्तरण करना चाहते है। इस स्थिति से वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को उलाहना दिया गया तो वे हिंसक हो गए तथा वादी को धमकी दी कि वे जल्दी ही ताकत के बल पर व भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों के सहयोग से विवादित भूमियों खसरा सं. 1163 व 1165 सम्पूर्ण पर कब्जा करेंगे तथा गलत इन्द्राज के आधार पर भूमियों को अन्य किसी अजनबी व ताकतवर व्यक्ति को बेचान कर देंगे। अगर प्रतिवादीगण अपने इस उदेश्य में कामयाब हो गए तो वादी को असीमित क्षति होगी, तथा वादी अपने पैतृक हक व अधिकार की भूमियों से वंचित हो जावेगा। इस कारण विवादित भूमियों को वेस्ट डेमेज एवं एलाइनेसन से बचाने के लिए वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त कार्यों से निवारित रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है, प्रार्थी/वादी ने उपरोक्त उनवानी दावा भी माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है, जिसमें वादी को अपनी सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थी/वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से पुष्ट एवं प्रमाणित होकर सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी/वादी के पक्ष में है। आवेदन उचित न्यायशुल्क पर सादर पेश है। अतः निवेदन है कि तादौराने दावा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को मय उनके सहयोगियों व रिश्तेदारो के जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावे कि वे आराजियात खसरा सं. 1163 रकबा 6.4700 हेक्टेयर, खसरा सं. 1165 रकबा 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.23 09:06:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

5700 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 8.0400 हेक्टेयर वाके ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर में राजस्व अभिलेखों में गलत इन्द्राज की आड़ में प्रार्थी/वादी के उपयोग व उपभोग मे किसी भी प्रकार का व्यवधान अथवा बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा ना ही अपने किसी भी व्यक्ति से करवाए तथा किसी भी प्रकार का अन्तरण अथवा बेचान तथा अन्तरण सम्बन्धी कोई भी कच्चा या पक्का दस्तावेज उक्त सम्पदा का किसी भी व्यक्ति के पक्ष में करने से बाज रहें।''

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 6 व 7 पर विधिवत तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से पूर्ण हो चुकी है, जो कि बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाह अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 1, 2 व 4 की ओर से श्री अनिल कुमार भार्गव, एड. उपस्थित हुये, परन्तु जवाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री भंवरलाल बिजारणियां, एड. उपस्थित होकर मदवार जवाब पेश किया गया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया कि ''मद सं. 1 में वर्णित तथ्य एवं वंशावली सही होने से स्वीकार है। जवाबदाता एवं जवाबदाता के भाई क्रमशः सुवालाल, बजरंगलाल, औंकारमल आदि का जन्म छोगाराम के नुत्फे से सुरजी देवी के वतन से हुआ है। छोगाराम के उनकी विधि विवाहिता पत्नी जिनकू देवी उर्फ अणची देवी से बाबुलाल एवं भंवरलाल उत्पन्न हुए थे, जिनमें से बाबुलाल, नत्थुराम के बेटे हणमान के गोद चला गया था। मद सं. 2 में वर्णित कथनों के जवाब में निवेदन है कि नत्थुराम की संपदा मे जबाबदाता का भी उसका पुत्र होने के नाते हक व अधिकार है। मद सं. 3 उपरोक्त जवाब के अनुसरण में तथा उपरोक्त जवाबदावा के रूह तक सही होने से स्वीकार है। मद सं. 4 व 5 सही होने से स्वीकार है। मद सं. 6 व 7 में जवाबदाता द्वारा धमकी दिये जाने का कथन गलत है। मद सं. 8 व 9 कानूनी होने से जवाब की मोहताज नहीं है। आवेदन की वर्णित सहायताएँ अगर प्रार्थीगण को दी जाती है, तो जवाबदाता को कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जवाबदाता का कानूनन राजीनामा के अनुसार कानूनन हक व हिस्सा जितना बनता है उतने का मुस्तहक जवाबदाता भी है। इसलिए जवाबदाता को भी उसके हक व अधिकार की भूमि अलग से दिलाया जावें।''

अप्रार्थी सं. 5 की ओर से श्री अनिल कुमार शर्मा, एड. उपस्थित होकर मदवार जवाब पेश किया गया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया कि ''मद सं. 1 में वर्णित तथ्य एवं वंशावली सही होने से स्वीकार है। जवाबदाता एवं जवाबदाता के भाई क्रमशः सुवालाल, बजरंगलाल, औंकारमल आदि का जन्म छोगाराम के नुत्फे से सुरजी देवी के वतन से हुआ है। छोगाराम के उनकी विधि विवाहिता पत्नी जिनकू देवी उर्फ अणची देवी से बाबुलाल एवं भंवरलाल उत्पन्न हुए थे, जिनमें से बाबुलाल, नत्थुराम के बेटे हणमान के गोद चला गया था। मद सं. 2 में वर्णित कथनों के जवाब में निवेदन है कि नत्थुराम की संपदा मे जबाबदाता का भी उसका पुत्र होने के नाते हक व अधिकार है। मद सं. 3 उपरोक्त जवाब के अनुसरण में तथा उपरोक्त जवाबदावा के रूह तक सही होने से स्वीकार है। मद सं. 4 व 5 सही होने से स्वीकार है। मद सं. 6 व 7 में जवाबदाता द्वारा धमकी दिये जाने का कथन गलत है। मद सं. 8 व 9 कानूनी होने से जवाब की मोहताज नहीं है। आवेदन की वर्णित सहायताएँ अगर प्रार्थीगण को दी जाती है, तो जवाबदाता को कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जवाबदाता का कानूनन हक व हिस्सा जितना बनता है उतने का मुस्तहक जवाबदाता भी है। इसलिए जवाबदाता को भी उसके हक व अधिकार की भूमि अलग से दिलाया जावें।''

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.23 09:06:20 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण से सुनी गई। वकील प्रार्थी/वादी ने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये प्रार्थी/वादी का आवेदन स्वीकार किये जाने का

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

निवेदन किया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराकर प्रार्थी/वादी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली आवेदन, जवाब आवेदन एवं सभी दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076–79 के अनुसार वाके ग्राम धोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के वर्तमान खाता सं. 593 के विवादित भूमियां खसरा सं. 1163 रकबा 6.4700 हेक्टेयर, खसरा सं. 1165 रकबा 1.5700 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 8.0400 हेक्टेयर में वर्तमान में प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 व अन्य खातेदार अणची पत्नी छोगा की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा विवादित आराजियात में उभयपक्षकारान का वर्तमान में हिस्सा मुताबिक जमाबंदी साबित है। चूंकि इस स्टेज पर आराजियात का विक्रय अन्तरण होता है या मौका स्थिति का परिवर्तन होता है या एक दूसरे के कब्जे–काश्त में दखलअंदाजी होती है तो वाद बहुलता होगी तथा सभी खातेदारान को भी अत्यधिक असुविधा होगी। साथ ही प्रकरण से संबंधित मूल वाद बाबत विभाजन, उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में मामला विचाराधीन है, जिसका निर्धारण उक्त मूल वाद में होना है। हस्तगत टी.आई. आवेदन का निस्तारण हस्तगत पत्रावली में आये तथ्यों के अनुरूप तय किया जाना है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला उभयपक्षों के हक में बनता है।

(B) सुविधा का संतुलन– उक्त वर्णित आराजियात में उभयपक्ष (प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5) खातेदारान है। अतः सुविधा का संतुलन उभयपक्ष में है।

(C) अपूरणीय क्षति– यदि विवादित आराजियात का बेचान होकर रिकॉर्ड में परिवर्तन होता है तो इससे वाद बहुलता बढेगी तथा अपूरणीय क्षति उभयपक्षों को होगी। अतः अपूरणीय क्षति भी उभयपक्ष को ही होनी है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्ष को रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार कर उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक आराजियात खसरा सं. 1163 रकबा 6.4700 हेक्टेयर, खसरा सं. 1165 रकबा 1.5700 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 8.0400 हेक्टेयर वाके ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा बेचान न करें। यह आदेश प्रचलित रास्तों/कटान के रास्तों, जल/विद्युत संबंध, राको रोड़ा के तहत बैंक कार्यवाही आदि पर लागू नहीं होगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.23 09:06:20 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला–सीकर (राज.)